P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-XII*August-2016

भारत के कौशल विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका

मनोज मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर/अध्यक्ष
अर्थशास्त्र विभाग,
एम0 डी0 पी0 जी0 कालेज,
प्रतापगढ़ उ0प्र0

सारांश

उभरती हुई लोककल्याणकारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम पाते है कि जिस गति से शहर और गाँव के स्वरूप बदले है वहाँ के लोग नहीं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि हमने विकास के अहम पहलू कौशल विकास पर दृष्टि डाली ही नहीं और तो और आबादी का लगभग आधा हिस्सा जो महिलाओं का है उसका समुचित उपयोग ही नहीं किया गया। कौशल विकास जहाँ व्यक्ति की विशेषज्ञता को बढ़ाता है, वहीं उसकी सृजनता का विस्तार करता है। कौशल विकास एक साथ संवृद्धि, श्रमिकों की उत्पादकता, प्रतिव्यक्ति उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य व गुणवत्तायुक्त जीवन को सुनिश्चित करता है। भारत को यदि जनसंख्या लाभांस का लाभ उठाना है तो उसे कौशल विकास के कार्यक्रमों में महिलाओं की सक्रिय भागेदारी सुनिश्चित करनी होगी।

मुख्य शब्द : कौशल विकास, संवृद्धि, गुणवत्तायुक्त जीवन, जनसंख्या लाभांष

प्रस्तावना

हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या लगभग 63 प्रतिशत (2013) है जो 15 से 59 आयुवर्ग का है। आबादी का 54 प्रतिशत भाग 25 वर्ष से कम उम्र का है। किन्तु विडम्बना यह है कि मात्र 2.3 प्रतिशत ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त आबादी है, जो अमूल्य है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों में 70 प्रतिशत आबादी कुशल श्रमिकों की है। अतः यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत के लिये अहम हो जाता है कि हम कौशल विकास के महत्व को समझे। कौशल विकास को महत्व देते हुये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरूवात की। इस मिशन को यथार्थ के धरातल पर लागू करने हेतु एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई।

1- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विभाग परिषद।
2- राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड।
3- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।

राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड ने पाँच प्रमुख विषयों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है जो निम्न है।

(अ) कौशल के अभाव की स्थिति का निर्धारण।
(ब) व्यवसायिक शिक्षा।
(स) प्रशिक्षुक प्रशिक्षण।
(द) पाठ्यक्रम में सतत् आधार पर संशोधन

इस प्रकार से राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड के उद्देश्य व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। जो श्रम का मूल्यवर्धन कर उसे आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनायेगा।

श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी

देश में कतिपय सांस्कृतिक परम्पराओं, लिंगभेद व संसाधनों के अभाव में महिलाओं की अधिकतम आबादी अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही है। वर्ष 2013 में अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श व प्रबन्धन फर्म बूज एण्ड कम्पनी ने ''थर्ड विलियन इन्डेक्स'' नामक रिपोर्ट जारी की जिसमें महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर किये गये सर्वेक्षण सूची में भारत को 128 देशों में से 115वां स्थान मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने देश की महिलाओं के लिये असीम सम्भावनायें उत्पन्न की है। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक असमानताओं और सीमित विकल्प होने के बावजूद भी विकास और आत्मनिर्भर होने की प्रबल सम्भावनायें विद्यमान है।

महिला श्रम शक्ति हिस्सेदारी दर यह प्रदर्शित करती है कि किसी महिला के समक्ष या उसके आसपास के भौतिक पर्यावरण में रोजगार प्राप्ति की स्थितियाँ क्या है, रोजगार की खोज के लिये उसकी गतिशीलता कैसी है तथा पारिवारिक सम्पत्ति आदि के सन्दर्भ में उसके कानूनी अधिकार कैसे हैं। महिलायें आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती है लेकिन उनके काम का सही मूल्याँकन नहीं किया जाता है। इस बात को N.S.S.O भी स्वीकार करती है। N.S.S.O की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा के प्रसार के बावजूद शिक्षित महिलाओं को योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा है। N.S.S.O के 2011 के सर्वेक्षण (रोजगार तथा बेरोजगारी) से यह स्पष्ट होता है कि 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच की शहरी महिलाओं में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 15.7 प्रतिशत पाई जाती है। जबकि इसी उम्र में पुरूषों में 9 प्रतिशत की बेरोजगारी दर पाई जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में महिला श्रमशक्ति हिस्सेदारी दर भिन्न–भिन्न है। दक्षिण तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी दर अपेक्षाकृत उंची है जबकि उत्तर, पश्चिम क्षेत्रों में ग्रामीण महिला श्रम शक्ति हिस्सेदारी दर कम है तथा महिलायें अधिकतर घरों तक सीमित है। 2010 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति हिस्सेदारी दर आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु में 50 प्रतिशत से अधिक पायी पाई गयी जबकि हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम थी।[1]शहरी महिला श्रमशक्ति हिस्सेदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक कम पाई गयी है। दक्षिणी, पश्चिमी तथा केन्द्रीय भारत के हिस्सों में शहरी लोगों में यह हिस्सेदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना में लगभग आधी है। यह बिहार में 9.17 प्रतिशत से लेकर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में 35.01 प्रतिशत तक पाई गयी । ऐसी क्षेत्रीय असमानताओं के कई कारण है जैसे उत्तरी भारत में पर्दा प्रथा तथा निम्न जातियों तथा जनजातियों में कई राज्यों में महिलाओं के धर के बाहर जाकर कई कार्य करना जहां हिन्दू उच्च जातियों की तुलना में महिलाओं के कार्य करने पर कम सामाजिक प्रतिबन्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में खेती की प्रकृति भी महिलाओं की श्रम शक्ति में हिस्सेदारी को स्पष्ट करती है, जैसे चावल और मोटे अनाज की खेती वाले क्षेत्रों में महिला श्रम का उपयोग अधिक है।[2]जबकि गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में यह उपयोग कम है। इसके अतिरिक्त गरीबी का स्तर तथा भूमि की उपलब्धता भी गरीब महिलाओं को मजदूरी के कार्य करने को बाध्य करती है।

श्रमजीवी रोजगार में प्रवेश के लिये अधिक से अधिक संख्या में महिलायें तैयार है पर, तकनीकी कुशलता और योग्यता के अनुरूप अवसर प्राप्त करने में वे अपने आप को अक्षम पा रही है।[3]इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु महिलाओं के सशक्तीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु सरकार बैकों के साथ मिलकर कई योजनायें चला रही है जो निम्न है।[4]

1. महिलाओं के जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलना।
2. इच्छुक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
3. असंगठित क्षेत्र की महिलाओं हेतु मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट एण्ड रिफाइनेन्स एजेन्सी) योजना जिसके तहत बिना गारन्टर के घर से उद्योग चलाने हेतु रू0 50,000/– से दस लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त होता है।
4. पब्लिक सेक्टर के बैंकों को कुल ऋण लक्ष्य का पाँच प्रतिशत सिर्फ महिलाओं को देना।
5. अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये स्टैंण्डअप इण्डिया योजना।

कौशल विकास हेतु वित्त का आवंटन

भारतीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने युवाओं को तकनीकी कौशल युक्त बनाने हेतु प्रतिवर्ष एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है साथ ही वर्ष 2022 तक तीस करोड़ लोगों के कौशल विकास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है। इस कार्य हेतु 1700 करोड़ का बजटीय आवंटन (वर्ष 2016–17) किया गया है। इसके लिये देशभर में 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेगें। मेक इन इण्डिया जैसे–कार्यक्रमों की सफलता हेतु कुशल श्रमिक बल होना अत्यावश्यक है।[5]ऐसे कुशल श्रमिक ही देश में विनिर्माण को गति प्रदान करेगें। 'स्किल इण्डिया' मिशन का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किये जाने के कारण कौशल विकास कार्यक्रम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है जिसमें महिलाओं की भागीदारी अत्यावश्यक है।

कौशल विकास की चुनौतियाँ एवं रास्ते

प्रधानमंत्री कौशल विकास निर्माण में जैसा कि उल्लेख है कि कोई भी संस्था या संगठन इन पाठ्यक्रमों तथा मानकों के तहत युवाओं को कौशल से सम्बन्धित ट्रेनिंग दे सकेगें और ट्रेनिंग के अंत में अधिकृत संस्था से प्रमाण पत्र और 10,000 रू0 नकद इनाम प्राप्त होगा।। दी जाने वाली ट्रेनिंग के कारण युवाओं के रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा साथ ही उत्पादकता में वृद्धि होगी। ऐसे में महिलाओं के लिये समस्या होगी कि प्रशिक्षण वो किस संस्थान से प्राप्त करें और जो प्रशिक्षण वह प्राप्त करेगी क्या वह उसके ग्राम स्तर के स्वरोजगार को बढ़ावा देगा क्योंकि अगर वह ग्राम स्तर पर कोई भी व्यवसाय प्रारम्भ करती है तो विभिन्न प्रकार के जोखिम जैसे– कच्चे माल की पूर्ति, मांग की समस्या, उपभोग का वहन, उत्पादन के साधनों की उपलब्धता भी शामिल है। अतः यहां पर इन चुनौतियों के लिये कुछ विशेष उपाय अपनाने होगें जैसे –

कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना लेने की क्षमता उत्पन्न कर दी जाय जिससे आने वाली समस्याओं का समाधान उसी प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध हो जाय क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सीमित समय और नियंत्रित परिस्थितियों में प्रशिक्षित लोगों की देख–रेख में पूरा होता है पर उस प्रशिक्षण का प्रयोग और उपयोग व्यवहारिक जीवन में अनियंत्रित परिस्थितियों में होता है, जहां विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आती है।

कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के बाद समस्या वित्त की आती है तो इस समस्या के

समाधान के लिये और स्वयं के उद्योग को प्रारम्भ करने के लिये MUDRA- Micro unit development and Refinance Agency बैंक को प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया। यह बैंक 10 लाख रू0 तक का ऋण छोटे साहसियों को उपलब्ध करायेगें। जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस योजना में ऋण की सुविधा तीन प्रकार से दी जाती है। शिशु–50,000/– रू0, किशोर–50,000/– से अधिक 5 लाख रू0 तक, तरूण–5 लाख रूपये से 10 लाख रू0 तक। अतः इस तरह से भी आर्थिक समानता अथवा धन की उपलब्धता को कौशल विकास कार्यक्रम के साथ शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार एक योजना के माध्यम से अन्य योजनाओं के द्वारा लघु/मध्यम उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है।

कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में MNREGA की ही भांति अगर महिलाओं का प्रतिशत प्रशिक्षण अनिवार्य किया जायेगा तो इससे और लाभ महिलाओं (शहरी/ग्रामीण) को ही प्राप्त होगा और कौशल विकास कार्यक्रम का पंजीकरण भी ग्राम–स्तर पर किया जाए तो ग्राम पंचायतों और ब्लाक पर इससे यह लाभ होगा कि जनसूचना केन्द्र के द्वारा प्रशिक्षणदाता कंपनी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दोनों को ही सूचना मिल जायेगी कि इस राज्य के जनपद में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जायेगा और प्रशिक्षार्थी इस प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं।

चूँकि प्रशिक्षण दाता कम्पनी (निजी–प्राइवेट होगी) की सूचना एक स्थान पर हो तो इसमें डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को भी शामिल किया जा सकता है। जिससे सारी Digital Information Employer & Employee को एक स्थान पर प्राप्त हो जायेगी। साथ ही साथ आधार से इस कार्यक्रम को जोड़ दिया जाय तो यह ज्ञात हो जायेगा कि भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त किये प्रशिक्षणार्थी कहां है और क्या कर रहे हैं।

कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण इस प्रकार दिये जाए जो उस स्थान विशेष की उपलब्धता और संसाधनों पर आधारित हो जैसे कृषि और वानिकी उत्पादों जैसे– खाद्य प्रसंस्करण जैम–जैली, मुरब्बा, शरबत, अचार, पापड़ के निर्माण में प्रशिक्षण। इन कार्यों में दक्ष महिलाओं को देकर उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ाई जा सकती है। साथ ही भारत के 29 राज्यों की आवश्यकता भौगोलिक, अनुरूपता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में कौशल विकास कार्यक्रम में महिलाओ की स्थिति उनकी संख्या एवं भूमिका का अध्ययन करना है।

निष्कर्ष

सारे देश में उद्योग एवं कारोबार और कौशल विकास केन्द्रों में एक बेहतर तालमेल हो ताकि रिक्त और विशेषज्ञता का फायदा उठाया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते है कि कौशल विकास कार्यक्रम में एक वृहद कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। जिसका लाभ तुरन्त ही रोजगार उपलब्धता के कारण प्राप्त होने लगता है। चूँकि यह कार्यक्रम व्यापक है इसे अन्य क्षेत्रों के सथ सम्बद्ध किया जा सकता है जिससे महिलाओं और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण को पूरा करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊपर उठेगा और वह अपने परिवार और समाज के लिये स्वावलंबन की भूमिका का निर्वहन कर पायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chaudhari S. and N. Gupta (2009) Levels of living and Poverty Patterrs: A District wise analysis for India, Economic and Political weekly, Feb. 28, March 6/2009
2. Majumdar, N.A. (2007) Inclusive Growth: Development Perspectives in Indian Economy, Academic Foundation, New Delhi
3. Agarwal, B (1997) Gender environment and poverty interlinks, Regional Variance and temporal sifts in rural India, 1971-1991.World development vol. 25.
4. India 2015
5. डा0 विष्णु राजगढ़िया (2016 अप्रैल) बेरोजगारी से लड़ने के लिये कौशल विकास पर जोर कुरू क्षेत्र।